बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 370600 पटना, दिनांक 22/05/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने के निमित्त पात्र परिवारों की पहचान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि "वर्ष 2022 तक सबों के लिए आवास" को केन्द्रित कर वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन कराया जा रहा है । योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभुकों का चयन SECC 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों की सूची को ग्राम सभा से अनुमोदन एवं प्राथमिकता निर्धारण के बाद अंतिम रूप से तैयार सूची से किया जा रहा है । चूँकि उक्त जनगणना में आवास की आवश्यकता वाले परिवार 2011 में चिन्हित किये गये थे और उक्त सूची में नया नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं था, अतएव एतद् संबंधी प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में पत्रांक-332428 दिनांक-11.10.17 द्वारा यह निदेशित किया गया था कि यदि कोई परिवार सूची के विरूद्ध आपत्ति देना चाहते हैं तो प्राप्त दावा आपत्तियों को SECC 2011 के लिए निर्धारित 13 Point of Automatic Exclusion के आधार पर छान-बीन के पश्चात् ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर प्रखण्डवार, पंचायतवार एवं कोटिवार परिवारों की संख्या का विवरण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी । इस संबंध में विभागीय पत्र संख्या-276296 दिनांक-24.06.16 एवं 332428 दिनांक-11.10.17 द्वारा आवश्यक निदेश दिये गये थे ।

विदित है कि कतिपय जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के परिवार उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस कोटि के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास की स्वीकृति नहीं हो पाने के कारण इस कोटि का लक्ष्य प्रत्यर्पित भी किया गया है ।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-J-11060/16/2017-RH(M&T) दिनांक-24.01.18 द्वारा वैसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास का लाभ पाने की पात्रता रखते हैं तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं रहने के कारण आवास का लाभ पाने से वंचित हैं, की पहचान कर प्रतीक्षा सूची में शामिल करने का प्रावधान संसूचित किया गया है । उक्त प्रावधानों के अनुरूप छूटे हुए परिवारों की पहचान करने एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के निमित्त निम्नवत कालबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्र परिवारों की पहचान एवं जाँच संबंधी कार्य (31.05.2018 तक) :-**

(क) सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा वैसे गृह विहीन अथवा जीरो, एक तथा दो रूम कच्चा दीवाल एवं कच्चा छत में निवास कर रहे परिवार की पहचान की जायेगी जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है तथा पूर्व में उन्हें इंदिरा आवास अथवा अन्य आवास योजना के तहत लाभान्वित नहीं कराया गया है ।

कच्चा दीवाल से तात्पर्य यह है कि दीवाल घास/फूस/बाँस आदि, प्लास्टिक/पॉलीथीन, मिट्टी/कच्चा ईंट, लकड़ी एवं पत्थर का बना हो तथा पत्थर से निर्मित दीवार सूर्खी-चूना एवं सीमेन्ट से नहीं जोड़ा गया हो । इसी प्रकार कच्चा छत से तात्पर्य यह है कि छत घास/फूस/बाँस आदि अथवा प्लास्टिक/पॉलीथीन/हस्त निर्मित खपरैल का हो ।

(ख) उक्त मापदण्डों के आधार पर पहचान किये गये परिवारों को SECC 2011 के लिए निर्धारित निम्न 13 Point of Automatic Exclusion के आधार पर जाँच की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये परिवार उक्त बिन्दुओं में से किसी एक बिन्दु के भी अंतर्गत नहीं आते हैं ।

Parameters for exclusion:

A household fulfilling any of the 13 parameters listed below will be automatically excluded:

1. Motorised two/three/four wheeler/fishing boat
2. Mechanised three/four wheeler agricultural equipment
3. Kisan Credit Card with credit limit of Rs. 50,000 or above
4. Household with any member as a Government employee
5. Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
6. Any member of the family earning more than Rs. 10,000 per month
7. Paying income tax
8. Paying professional tax
9. Own a refrigerator
10. Own landline phone
11. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment
12. 5 acres or more of irrigated land for two or more crop season
13. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment

(ग) ग्रामीण आवास सहायक द्वारा बनायी गयी सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को हस्तगत करायी जायेगी तथा उक्त सूची की जाँच ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक अथवा प्रखण्ड स्तर पर उपलब्ध अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी से करायी जायेगी एवं जाँचोपरान्त उपलब्ध सूची के विवादित बिन्दुओं के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वयं जाँच कर निर्णय लिया जायेगा ।

(2) **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों का नाम शामिल करने हेतु पहचान किये गये परिवारों का ग्राम सभा से अनुमोदन (15.06.2018 तक) :-**

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों का नाम शामिल करने हेतु पहचान किये गये परिवारों की सूची को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को अनुमोदन हेतु हस्तगत करायी जायेगी ।

(ख) ग्राम सभा द्वारा सूची के अनुमोदन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि पहचान किये गये सभी परिवार आवास की आवश्यकता वाले परिवारों के पहचान हेतु निर्धारित सभी मापदण्डों को पूरा करते हैं । ग्राम सभा की कार्यवाही में आवास आवंटन के लिए पहचान किये गये परिवार जिन्हें आवास आवंटित किया जाना है के मुखिया का नाम भी कार्यवाही में अभिलिखित किया जाना आवश्यक होगा ।

(ग) उक्त आधार पर आवास के लिए दावेदार परिवारों में से वैसे परिवार जिनका नाम पूर्व की सूची में था और ग्राम सभा द्वारा किसी कारणवश हटा लिया गया था या परिवार का नाम वर्तमान सूची में नहीं है, इन दोनों परिस्थितियों के कारणों के साथ परिवार का नाम सूची में शामिल करने के संबंध में ग्राम सभा की कार्यवाही में अभिलिखित किया जाना भी आवश्यक है ।

(3) **ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के साथ ही सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों को सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँचोपरान्त अनुशंसा सहित अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारण तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा सूची के परिवारों का नाम शामिल करने की अनुशंसा (25.06.2018 तक) :-**

(क) ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के साथ ही सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर जाँचोपरान्त अपीलीय प्राधिकार को अनुशंसा करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे ।

(ख) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची कार्यवाही सहित प्राप्त करेंगे तथा अपने स्तर से जाँचोपरान्त पात्र परिवारों की सूची अभिलेख सहित जिला स्तर पर गठित त्रि-स्तरीय अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारित करेंगे।

(ग) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर पर सूची में नाम शामिल करने के लिए विभिन्न स्तरों एवं सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँचोपरान्त नाम शामिल करने की अनुशंसा भी अपीलीय प्राधिकार से की जायेगी ।

(घ) प्राय: योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदा से संबंधित विशेष परियोजना प्रस्ताव में प्रभावित परिवारों का नाम SECC 2011 की सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में बी0पी0एल0 नं0 अंकित करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेज दिया जाता है । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विशेष परियोजना से संबंधित प्रभावित परिवारों का SECC TIN नं0 या A.H.L TIN सहित का होना आवश्यक है । अतएव ऐसे मामलों को दृष्टिपथ रखते हुए विशेष परियोजना से संबंधित प्रभावित परिवारों को उपर्युक्त निर्धारित मापदण्डों के आधार पर जाँच कराकर पात्र परिवारों का नाम शामिल करने की

अनुशंसा भी अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारित किया जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रभावी परिवारों को विशेष परियोजना के तहत लाभान्वित कराया जाना सुलभ हो सके ।

(4) **जिला स्तरीय अपीलीय समिति का गठन (15.06.2018 तक) :-**

जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय जिला स्तरीय अपीलीय समिति का गठन कर दिया जायेगा:-

i) जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी - अध्यक्ष (अपर समाहर्ता स्तर से अन्यून्य होंगे) ।

ii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत सरकारी पदाधिकारी - सदस्य (इंदिरा आवास योजना के जिला के नोडल पदाधिकारी) ।

iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति - सदस्य ।

(5) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के उपर्युक्त वर्णित संलग्न पत्र की कंडिका III, IV एवं V में उपर्युक्त कार्रवाई के पश्चात अंतिम रूप से तैयार सूची के परिवारों का Mobile Application से Geo-Tagged फोटोग्राफ तथा आवास सॉफ्ट पर इस निमित्त उपलब्ध कराये जाने वाले मॉड्यूल में अपेक्षित प्रविष्टियाँ भी की जानी है । इस संबंध में अलग से मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

अत: अनुरोध है कि कंडिका(1) से (4) में निर्धारित कालबद्ध प्रक्रिया के अनुसार सभी कार्रवाईयाँ ससमय पूरी की जाय ताकि Mobile Application एवं मॉड्यूल उपलब्ध होते ही प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों का नाम शामिल करने की कार्रवाई बिना किसी विलम्ब के सुनिश्चित हो सके । इस कार्य के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 30 जून 2018 तक की अवधि विस्तारित की गई है ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

21/5/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 370600 पटना, दिनांक 22/05/18

प्रतिलिपि- (अनुलग्नक सहित) सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/5/2018

सरकार के सचिव

J-11060/16/2017-RH(M&T)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 24th January 2018

To

The Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries
Department of Rural Development,
All State Governments / UT Administrations

Subject: Identification of additional beneficiaries for inclusion in the Permanent Wait List of PMAY-G – Procedure to be adopted – Reg.

Sir / Madam,

You are aware that the Framework for Implementation of PMAY-G provides for identification of households who though eligible for assistance under PMAY-G as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List. Further, Ministry of Rural Development has also issued an advisory to all the States / UTs vide letter No. J-11012/02/2016-RH, dated 6th July, 2017 to identify such left out households and upload the identified households on AwaasSoft. Accordingly, various State Governments have initiated the process of identification of households who though eligible have not been included in the PWL of PMAY-G and also uploaded the details on AwaasSoft.

2. In this connection, it is stated that in order to ensure a uniform criteria for identification of such households is followed all through out the country, the following procedure has been prescribed :-

I. States / UT to ensure the following while identification of the eligible households under PMAY-G

a. The households should either be houseless or living in zero, one and two room house with kutcha wall and kutcha roof as per SECC data.

b. The identified households should not fulfil any one of the 13 exclusion parameters specified in SECC-2011 and mentioned in Annexure-I of the FFI.

c. The definition of kutcha roof would mean "Roof made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic / polythene, and hand made tiles) and kutcha wall would mean "Wall made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic /

polythene, mud / unburnt brick, wood and Stone not packed with mortar) as given in the SECC-2011 data for identification of the kutcha house.

d. The identification of such households should be done by the Gram Sabha and the resolution of the Gram Sabha should clearly state that the households are identified after taking into account the above parameters. The Gram Sabha resolution should also mention the names of the head of the household to whom the house is to be allotted.

e. The Claimant household could be a household whose name had appeared in the System generated list and was deleted by the Gram Sabha, or the household's name was not present in the system generated list. In both cases, adequate reasons for inclusion of the household needs to be recorded by the Gram Sabha.

f. The list of households identified by Gram Sabha need to be submitted to the Competent Authority, notified by the State / UT Government for the purpose. The Competent Authority shall enquire into the list submitted by Gram Sabha and also applications received directly by such Authority and submit a report to the Appellate Authority, notified by respective State / UT's for the purpose.

g. The Appellate Authority, based on the report of the Competent Authority, shall recommend the names of the left out beneficiaries who are found eligible for inclusion in the additional list.

II. A certificate detailing all the above process needs to be furnished by all the States / UTs that the identification of the beneficiaries has been done after following the above process.

III. Since capture of geo-tagged photograph of the house in which the beneficiary is currently residing, is mandatory under PMAY-G, the present dwelling/land of the households identified for inclusion in PWL also need to be geo-tagged. For this, a separate mobile application is being developed by the Ministry of Rural Development with the help of NIC. A separate module shall also be developed in Awaassoft to facilitate geo-tagging, uploading of Gram Sabha resolutions, etc. by States /UT's. The features of the mobile application and the module in AwaasSoft would be as follows :-

a. The mobile application would have an incorporated feature wherein while capturing the photograph of the existing house would mandatorily ask to tick the pre-dominant material used for roof and wall. The option of the material will only be those identified as kutcha material as per SECC data.

b. Further while capturing the geo-tagged photograph, the mobile application would have the feature to capture the 13 automatic exclusion parameters, 5

automatic inclusion / compulsory inclusion criteria and 5 deprivation parameters

c. A module which is being developed in AwaasSoft wherein the go-tagged photographs captured using the mobile application are stored would have a provision of storing GP wise photographs.

d. The AwwaasSoft module would also have a provision for uploading of Gram Sabha Resolution indicating about identification of left out households after following due procedure and also having the list of heads of such households.

IV. Once all the above process is completed, Ministry of Rural Development would conduct electronic verification of the photographs of the houses uploaded viz., through space technology. Further, Ministry of Rural Development would undertake physical verification on sample basis of the houses uploaded on AwaasSoft. The physical verification involves the aspects whether the existing house is kutcha (both wall and roof are made of kutcha material specified in SECC), Gram Sabha resolution, report by the competent authority after due enquiry, applications submitted by individuals if any, recommendation of the appellate authority.

V. After all the above mentioned process have been completed, a decision would be taken about the number of households (over and above the SECC based list) that can be provided assistance under PMAY-G State/UT-wise. Thereafter approval of the Competent Authority for providing assistance to such households under PMAY-G would be sought.

3. In view of the above, it is requested that all the States / UTs may adopt the above prescribed procedure while identification of the beneficiaries who though eligible for assistance under PMAY-G as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List. This exercise may be completed by 31st March, 2018.

Yours faithfully,

(Gaya Prasad)
Director (RH)
Tel: 011-23388431
Email:- gaya.prasad@nic.in

Copy to: NIC, MoRD for information and necessary action.